International Journal of Computing and Business Research (IJCBR)
ISSN (Online) : 2229-6166
International Manuscript ID : 22296166V1I1201011
Volume 1 Issue 1 December 2010

युग प्रवर्त्तक और समाज सुधारक : दीनबंधु चौधरी छोटू राम

अनिल
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

सार:

24 **नवम्बर** 1881 **को बालक रामरिछपाल का जन्म रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में एक किसान परिवार में हुआ।** 09 **जनवरी** 1945 **को रहबरे-आजम, दीनबंधु चौधरी छोटूराम का निवारण दिवस है। चौधरी छोटूराम ने अंग्रेजों के शासन में कानूनी तौर पर कितने कार्य किए हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है क्योंकि अंग्रेजों के समय में आम जनता के लिए कार्य करना बड़ा मुशिकल ही नहीं असम्भव था लेकिन उस समय ऐसे कारनामें किए, जिससे जनता में खुशहाली की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान के इतिहास में सर छोटू राम द्वारा किए गए कार्यों को सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है। भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए चौधरी छोटूराम ने अपने शुरू के कार्यकाल** 1924-26 **से** 8 **जनवरी** 1945 **तक हस्ताक्षर होने के बाद ही** 9 **जनवरी को अपने प्राण त्यागे। आज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बांध हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए कितना उपयोगी, आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है, यही नहीं** 1924 **से** 1926 **तक के अपने मंत्री के कार्यकाल में ही उन्होंने जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों की झड़ी लगा दी थी।** 1937 **से** 1945 **तक के मंत्रित्व के काल में ऐसे कानून बनवाए, जिनको संयुक्त पंजाब की आम जनता सुनहरी कानूनों के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी का मकसद था, न्यायकारी व्यवस्था। उन्होंने कितनी बार कहा कि काणी डंडी कच्चे बाट, नहीं चलेंगे- नहीं चलेंगे और वे हमेशा कहते थे कि ए भोले किसान मेरी दो बात मान ले। एक तो बोलना सीख और दूसरा अपने**

दुश्मन को पहचान ले।। इतना ही नहीं वे सामाजिक कार्यकर्त्ता, सफल वकील, जागरूक पत्रकार और कुशल प्रशासक एवं उच्च कोटि के राजनेता के रूप में गरीबों के मसीहा एवं पथ-प्रदर्शक के रूप में अपने किए गए कार्यों के दम पर हमेशा याद किए जाते रहेंगे।

भूमिका:

भारत कृषि प्रधान देश से विख्यात है। कृषि भारतीय समाज की रीड की हड्डी के समान है। कृषक एवं मजदूर वर्ग को पहचान दिलाने तथा इसमें जागरूकता पैदा करने में दीनबंधु छोटूराम का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। ग्रामीण समाज के हितों के प्रवक्ता के रूप में उन्होंने इस समाज के लिए एक प्रारूप प्रदान किया। उन्होंने कृषि और कामगार वर्ग को सम्मान दिया था एवं कमजोर वर्ग को साहूकारों के चंगुल से तथा कर्जे से मुक्त कराया। समाज के कमजोर वर्ग पर किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध एक वीर योद्धा की भूमिका का निर्वाह किया। वह किसी से डरे नहीं अपितु सर्वप्रिय बनकर खेतिहर, मजदूर की प्राप्ति की लड़ाई में प्रथम प्रकाश स्तम्भ बने रहे। अतीत वर्तमान का बादल बन कर हर बार नए युग का श्रीगणेश करता है। हर युग में कोई ना कोई ऐसा महापुरुष आया है जिसने हमारी प्राचीन संस्कृति को नया रूप दिया, नए प्रतिमान दिए तथा इतिहास को नया आयाम दिया और तत्कालीन समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त किया। किसानों, गरीबों, देहातियों और मजदूरों एवं विद्यार्थियों के संदर्भ में दीनबंधु चौधरी छोटूराम पर यह बात सही तरीके से लागू होती है। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में विभाजित पंजाब में महाजनों और जमीदार सामंतों के खूनी पंजे एवं लाचार नीतियां, किसानों और श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। मुस्लिम लीडरशिप अधिकारी एवं सांप्रदायिक शक्तियां समाज में जहर घोल रही थी और अंग्रेज भारत को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से नष्ट करने पर तुले हुए थे, तब छोटू राम नाम से विख्यात रामरिछपाल का जन्म चौधरी सुखीराम के घर हुआ।

रहबरे-आजम, दीनबन्धु सर छोटू राम द्वारा किए गए कुछ कार्यों और बनाए गए नियमों का वर्णन इस प्रकार है।

● पंजाब इन्तकाल अराज़ी एक्ट:

इसमें संशोधन किए गये, जिनके आधार पर खेती करने वाले साहूकारों को भी गैर जमींदार साहूकारों की सूची में रख दिया गया। रहनशुदा भूमि की अन्न पैदा करने की शक्ति को खराब नहीं किया जा सकता।

● बंधक भूमि वापिस एक्ट-1938:

इसके द्वारा 8 जून, 1901 से पहले की रहनशुदा जमीनों को इनके असली मालिकों को वापिस करा दिया गया। इस कानून से 365000 किसानों को फायदा हुआ और 835000 एकड़ जमीन उन किसानों को वापिस मुफ्त मिल गई।

● पंजाब कृषि-उत्पादन मार्केटिंग एक्ट-1938:

इस एक्ट के फलस्वरूप मंडियों का पंजीकरण किया गया। महाजनों को लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया। मंडी मार्केटिंग कमेटी में 2/3 प्रतिनिधि किसानों के और 1/3 महाजनों के निर्धारित किए गये। इस बिल को डा० गोकुलचन्द नारंग ने मारकूट अथवा माईटिंग (शक्तिमान्) बिल कहा और भी कई गैर किसानों ने कहा कि इस बिल से हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसके उत्तर में चौ० छोटूराम जी ने कहा - "मुझे दुःख है कि गरीबों की हिमायत करने वाली कांग्रेस के प्रतिनिधि भी इस बिल का विरोध करते हैं। वे कांग्रेस के उद्देश्य और हिदायतों को ताक में रखकर अपने नंगे रूप में हमारे सामने आ गये हैं। उन्हें लज्जा आनी चाहिए थी।" डा० गोकुलचन्द नारंग ने कहा कि "इस बिल के पास होने पर

रोहतक का दो धेले का जाट लखपति बनिये के बराबर मार्केटिंग कमेटी में बैठेगा।" चौ० छोटूराम ने उसके उत्तर में कहा कि "मैं डाक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि किसान एक अरोड़े से किसी भी भांति कम आदर का पात्र नहीं है और यह वही किसान है जिसके लिए हरयाणा की हिन्दू कान्फ्रेंस में डॉ. साहब ने कहा था कि किसान समस्त हिन्दू जाति के संरक्षक हैं। वह समय आ रहा है जब धन के गुलाम लोगों को परिश्रमी धनी किसान बहुत पीछे छोड़ देगा।"

- **माप- तौल कानून** 1941:

इस कानून के अनुसार व्यापारियों के बांटों को तोलने और उनकी जांच का कार्य प्रारम्भ हुआ। डण्डी वाली तखड़ी के स्थान पर कांटे वाली तराजू नियुक्त की गई। इनकी जांच पड़ताल के लिए इंस्पेक्टर नियुक्त किए गये। फलतः खरीददारों को निर्धारित मात्रा से कम तोलकर देने और विक्रेताओं से अधिक तोलकर लेने की आदत पर रोक लगी।

- **पंजाब रजिस्ट्रेशन ऑफ मनीलैंडर्ज एक्ट**-1938:

इस एक्ट के आधार पर ब्याज पर रुपया देने का धंधा करने वाले महाजनों व साहूकारों को नियंत्रित किया गया। इससे अनाप-सनाप ब्याज लेने की योजना घट गई। इस नियम के अनुसार साहूकार लाइसैंस लेकर ही कोई व्यापार कर सकेगा।

- **पंजाब ट्रेड एम्पलाईज एक्ट**- 1940:

इस एक्ट के अनुसार सप्ताह में, कामगारों, मुनीमों और मजदूरों की एक दिन की वैतनिक छुट्टी होने लगी। काम करने के घण्टे निश्चित किए गए। किसी को नौकरी से हटाने के लिए एक माह का नोटिस देना आवश्यक हो गया।

● **मसहलती बोर्ड**:

ऐसे बोर्ड की नियुक्ति की गई, जिसके अनुसार कर्जदार आठ आने की कोर्ट फीस भरकर अपने कर्जे को घटाने की दरखास्त दे सकता है, जो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी।

● **बेनामी भूमि ट्रांसैक्शन एक्ट**- 1938:

इस एक्ट के आधार पर तमाम बेनामी जमीनों को वापिस उनके मालिक किसानों को दिलवाया गया। इसके लिए 5 तहसीलदार नियुक्त किए गए थे जिन्होंने अकेले गुरुदासपुर जिले में 44 लाख रुपये की बेनामी जमीन को पकड़ा था। यही हाल सब जिलों में था।

● **कृषक सहायता कोष**:

ऐसा कोष चालू किया जिसमें किसानों की सहायता के लिए 55 लाख रुपये डाले गये ताकि ओले, टिड्डी, बाढ़ तथा सूखे द्वारा की गई हानि की स्थिति में किसानों की सहायता की जा सके।

● **शुद्ध घी में मिलावट रोकना**:

शुद्ध घी में वनस्पति घी न मिलाया जा सके, अतः वनस्पति घी में रंग डालने का कानून बनाया।

● **गांवों में उद्योग धन्धे खोलना**:

अनेक उधोग गांव में खोले गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक उन्नति हो और शहरों तथा कस्बों में आबादी का दबाव न बढ़े।

● **किसानों के लिए नौकरियों में सुविधाएं**:

पहले कमिश्नर लोग भी लाला लोगों की ही बात सुनते थे। जमींदारों का उनके पास पहुंचना ही मुश्किल था, इसलिए किसानों को नौकरियों में प्राथमिकता दी गई।

● किसानों के हित के लिए बिक्री टैक्स और जायदाद टैक्स कानून:

जायदाद से होने वाली आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स लगाया गया। किराया वही रहा जो अब से दो वर्ष पहले लिया जाता था, अतः वह बढ़ाया न जाए लेकिन रहने के मकान टैक्स से बरी रहेंगे। बिक्री पर 5,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं होगा। पांच से दस हजार तक यह टैक्स दो आने प्रति सैंकड़ा, किन्तु किसान जो अनाज या खेत की पैदावार बाजार में बेचने जायेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

● इन टैक्सों के अतिरिक्त साहूकारों पर टैक्स:

साहूकारों पर छः करोड़ सालाना की आमदनी के टैक्स लगाये गये। उस आमदनी से देहातों में पानी, दवा और शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध किया गया।

● पंजाब कर्जदार रक्षक कानून:

इस कानून को पास करके किसानों की जमीनों की रक्षा कर दी गई।

● पंजाब मलकियत अधिकार कानून 1934 व तीसरा संशोधन 1940:

इसके अनुसार यूनियनिस्ट सरकार ने पंजाब के किसानों की आर्थिक गुलामी के जुए को उतार फेंका। इस कानून द्वारा किसानों को निम्न प्रकार की सुविधायें मिलीं।

• कोई साहूकार किसान को कैद नहीं करा सकता।

• किसान के रहने के घर तथा नौहरे कुर्क नहीं किये जा सकते।

• खेत में काम आने वाले औजार जैसे हल, कस्सी, कसोला, गाड़ी आदि तथा बैल, दुधारू पशु और फसल कुर्क नहीं हो सकती।

• किसानों के बैल तथा पशु बांधने के स्थान, कूड़ा डालने का स्थान जैसे खाद की कुर्ड़ी, चारा एवं चारा रखने का स्थान तथा उपले पाथने का स्थान (गितवाड़ व बिटोड़ा) भी कुर्क नहीं हो सकते।

• घर में प्रयोग आने वाला सामान, फसल की पैदावार का एक-तिहाई कुर्क नहीं हो सकता और यदि वह एक-तिहाई आसानी से छः महीने के गुजारे के लिए काफी नहीं है तो उतना हिस्सा कुर्क नहीं होगा जो छः महीने के लिए काफी हो। खेती के पेड़ भी कुर्क नहीं हो सकते। इस कानून के अनुसार, चाचा, ताऊ की मौत के साथ ही साहूकार का कर्जा भी मर जाता है।

सर चौ० छोटूराम गरीब किसानों के लिए कितना दर्द रखते थे यह उनके निम्न शब्दों से मापा जा सकता है जोकि उन्होंने 17 नवम्बर 1940 को रावलपिंडी के स्थान पर कहे -

"यदि संघीय न्यायालय ने यह फैसला कर दिया कि पंजाब विधान सभा 'बेनामी' और 'रहन विधायक उन्मुक्ति' एक्टों को पास करने का अधिकार नहीं रखती तो मैं पंजाब के इस कोने से लेकर उस कोने तक एक अभूतपूर्व आंदोलन छेड़ दूंगा। यदि जरूरत पड़ी तो मैं अपने मन्त्री पद और विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर किसानों को संगठित करके एक झण्डे के नीचे खड़ा कर दूंगा और तभी चैन लूँगा जबकि पंजाब सरकार को ऐसे कानून पास करने का अधिकार मिल जायेगा। यद्यपि मैं अब वृद्ध और दुर्बल हूँ पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि यमराज भी मुझे अपने कार्य से हटाने में तब तक बुरी तरह से असफल रहेगा जब तक कि मैं पंजाब के किसानों के दुःखों को दूर न कर दूं। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि किसानों को यूनियनिस्ट सरकार द्वारा पारित कानूनों से सभी लाभ प्राप्त न हो जाएं।"

International Journal of Computing and Business Research (IJCBR)
ISSN (Online) : 2229-6166
International Manuscript ID : 22296166V1I1201011
Volume 1 Issue 1 December 2010

विधानसभा को यह अधिकार मिल गये और सर छोटूराम ने कानून पास करके किसानों को सब लाभ प्राप्त करा दिए। इन कानूनों के अलावा किसानों तथा गरीबों की हालत सुधारने के लिए कुछ कदम चौ० छोटूराम ने और उठाए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

● स्थानीय स्वराज्य के विकास के लिए पंचायत कानून पास किया। जिसके अनुसार देहातों में पंचायतों का जाल बिछा दिया गया और सच्चे देहाती स्वराज्य की नींव पड़ गई।

● पंजाब में सबसे अधिक सड़कें बनवाईं। पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई।

● बिजली द्वारा सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लिए मण्डी हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्कीम चालू की। इसके अतिरिक्त हवेली प्रोजेक्ट ढाई वर्ष में पूरा कर लिया गया, जिस पर चार-पांच करोड़ खर्च आया। इन दोनों स्कीमों से लाखों बीघे जमीन की सिंचाई होने लगी।

● दक्षिण-पूर्वी पंजाब के सूखे इलाकों में सिंचाई करने के लिए तीन योजनायें बनाई गईं - • नलकूपों से • भाखड़ा बांध • व्यास नदी पर बांध। इन तीनों के पूरा हो जाने पर पंजाब का हर कोना-कोना हरा-भरा बन जायेगा। • सन् 1937 में बाढ़ से जो हानि हुई उसके लिए 37 लाख रुपये की सरकारी सहायता कराई। • गुरुद्वारा शहीदगंज के साम्प्रदायिक केस का न्याययुक्त लोकप्रिय निर्णय कराया। • दस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए एक नहर बहुत शीघ्र बनवाई, जिसमें बजट से डेढ़ करोड़ रुपया कम खर्च किया। • हरयाणा के अकाल पर अप्रैल 1941 ई० तक तीन करोड़ रुपये व्यय किये गये। 15 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये नहर स्थल की खुदाई प्रारम्भ की, जिस पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हुए। सवा करोड़ की लागत से हरयाणा में (रोहतक-हिसार जिले) एक और फसली (बरसाती) नहर निकाली जो बाद में बारहमासी कर दी गई।

● स्टोरों की स्थापना की गई, जिनमें किसान अपना माल अच्छे दाम मिलते तक जमा कर सकें और काम चलाने के लिये अपने माल की लगभग तिहाई कीमत पेशगी प्राप्त कर सकें।

● किसानों को उत्तम बीज देने के लिये 2 करोड़ 77 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। हजारों स्थानों पर किसानों की एकत्रित सभाओं में उन्नत खेती के तरीके बताये जाते थे। कई तरह के कपास और गेहूं के बीजों का अनुसंधान लायलपुर के कृषि कॉलेज में किया गया।

● सारे भारत में पंजाब ही एक ऐसा प्रान्त था जहां चकबन्दी की गई। प्रतिवर्ष एक लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी होती रही थी।

● पशु-चिकित्सा के मामले में तो कोई सूबा पंजाब की बराबरी नहीं कर सका। शुरु में 1200 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये गये और 79 डिस्पैन्सरियां चालू कीं। हिसार में पशु फार्म की स्थापना की गई। पशुओं, बकरियों और भेड़ों को उन्नत बनाने का कार्य शुरु किया गया।

● पंजाब प्रान्त में उद्योग-धन्धों की उन्नति की गई। अधिक से अधिक कारीगर प्राप्त करने के लिये स्कूलों में टेक्निकल और व्यावहारिक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया।

27 दिसम्बर 1938 को लाहौर में औद्योगिक प्रदर्शनी जिसको अन्य प्रान्तों के मिनिस्टरों ने देखकर भूरि-भूरि प्रशंसा की और उन्होंने अपने प्रान्तों में भी ऐसा ही करने का विचार किया। मिट्टी के बर्तनों और रेशम की कारीगरी को उन्नत करने के लिए 60 हजार रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया। जुलाहों के गरीबी को दूर करने के लिए उनकी औद्योगिक को-आपरेटिव सोसाइटियां बनाईं गईं। उन्हें ठीक दाम पर सूत प्राप्त करने का प्रबन्ध किया गया। उद्योग-धन्धों की खोज के लिए भी एक विशेष विभाग स्थापित किया गया।

पटना, दिल्ली और कराची की प्रदर्शिनियों में पंजाब की कारीगरी की चीजों पर अनेक पुरस्कार मिले। चूंकि उद्योग विभाग चौ० सर छोटूराम के पास था, इसलिए इसकी यह कीर्ति उन्हीं की है।

चौधरी छोटू राम को यूं ही रहबरे-आजम और दीनबन्धु के नाम से नहीं पुकारा जाता है। उन्होंने अनेक कार्य और नियम ऐसे बनाए जिससे सयुंक्त पंजाब की आम जनता का शोषण रोक दिया गया। उनकी लड़ाई हमेशा गरीबों को उनका हक दिलाने की रही।

● औरतों पर अत्याचार बंद करवाना:

चौधरी छोटूराम ने औरतों पर अत्याचार बंद करवाने के लिए 'जेण्डर इक्विटी एक्ट-1942 बनाकर उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलाए। पंचायती राज स्थापित कर औरतों को 50 प्रतिशत सीटों पर भागीदारी दी। विधानसभा में 20 प्रतिशत सीटें प्रथम बार 1943 के चुनाव में तथा पांच वर्ष बाद 50 प्रतिशत सीटें देने का प्रावधान किया। औरतों को शिक्षित करने के लिए नारी शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पास करवाया परन्तु यह काम इसलिए अधूरे रह गए, क्योंकि चौधरी छोटूराम का स्वर्गवास 09 जनवरी 1945 को ही हो गया था।

● मुलतान जिले (वर्तमान पाकिस्तान) में दलितों को कृषि भूमि देना:

दीनबन्धु सर छोटूराम का दीनबन्धु नामकरण दलितों द्वारा किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दलित शब्द समाप्त करना जरूरी है, नहीं तो शोषित वर्ग समाज में बराबरी पर नहीं आ सकता। 13अप्रैल 1938 को जब वे कृषि मंत्री थे तब भूमिहीन दलितों को खाली पड़ी सरकारी कृषि भूमि 4 लाख 54 हजार 625 एकड़ (किले) जो मुलतान जिले में थी भूमिहीन दलितों को तीन रुपये प्रति एकड़ जो 12 वर्षों में बिना ब्याज, प्रतिवर्ष चार आने किश्तों पर चुकाने की शर्तों सहित अलॉट कर दलितों को भू-स्वामी बनाया। दलितों ने सर छोटूराम को दीनबन्धु का नाम देकर हाथी पर चढ़ा कर ढोल-नगाड़ों से जुलूस निकालकर जलसा किया।

● **छुआछूत बुराई कानून**-1940:

सयुंक्त पंजाब में 1 **जुलाई** 1940 **को सर छोटूराम ने यह कानून बनाकर सख्ती से लागू कर दलित शब्द मिटाने का वचन निभाया। एक सरकुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार सारे पब्लिक कुएं सारी जातियों के लिए खोल दिए गए। इससे दलितों को इंसानी हकूक कानूनी तौर पर मिल गए, जिससे वह सदियों से रिवाज और जाति-पाति के चक्करों से वंचित कर दिए गए थे। जमींदारा पार्टी का यह फैसला लागू होने पर मोठ गांव में स्वर्णों ने दलितों को कुओं पर चढऩे से रोकने पर खुद चौ. छोटूराम ने वहां पहुंचकर दलितों को कुएं पर चढ़ाकर पानी भरवाकर, घड़े दलित महिलाओं के सिर पर चकवाकर उनका सम्मान बढ़ाया।**

इसके अतिरिक्त सरकारी हुक्म जारी कर दिए कि कोई ऑफिसर किसी दलित या पिछड़ी जाति के आदमी से किसी प्रकार की बेगार नहीं लेगा। सरकारी दौरे पर दलित से अपना सामान नहीं उठवाएगा। हिदायत दी कि बेगार लेना कानूनी जुर्म है। इन्सान की बेकदरी है।

● **मुस्लिम समाज से भाईचारा**:

सर छोटूराम ने नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी वर्ष 1923 **में बनाई, परन्तु सर फजले हुसैन जिन्होंने इंग्लैण्ड से वकालत की थी को इसका अध्यक्ष बनाया। जब जमींदारा पार्टी वर्ष** 1935 **में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तब सर सिकन्दर हयात खां एक मुस्लिम को वजीरे आला (मुख्यमंत्री) बनाया। सर सिकन्दर हयात खां लन्दन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स से पढ़े विद्वान थे जो उस समय रिजर्व बैंक - दिल्ली में इसके गवर्नर थे यही नहीं फिर उनके बेटे खिजर हयात को बनाया। सन्** 1945 **में चौधरी छोटूराम के देहान्त के बाद सर खीजर हयात खां को इतना सदमा लगा कि वह देश छोड़कर इंग्लैण्ड यह कहते हुए चला गया कि जब चाचा ही नहीं रहे तो अब शासन किसके सहारे करूंगा।**

● **राजपुताना में कुम्हारों पर लगी चाक लाग को समाप्त करना**:

दीनबन्धु सर छोटूराम ने राजपुताने के राजाओं तथा ठिकानेदारों द्वारा कुम्हारों के घड़े व मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने पर चाक लाग लगा रखी थी जो पांच रुपये वार्षिक अदा करनी पड़ती थी। राजाओं का कहना था कि जिस मिट्टी से कुम्हार बर्तन व घड़े बनाकर बेचते हैं। वह मिट्टी राजाओं की जमीन की है, इसलिए यह कर देनी पड़ेगी। सर छोटूराम ने 5 जुलाई 1941 को बीकानेर में कुम्हारों को इक्ट्ठा करके महाराजा गंगासिंह से बातचीत करके इन्हें इस चाक लाग से मुक्ति दिलाई। कुम्हारों ने खुश होकर सर छोटूराम को एक सुन्दर सुराही जिसमें पानी ठण्डा रहता है भेंट करके सम्मान किया। सर छोटूराम ने मरते दम तक वह सुराही अपने पास रखी।

● **कतरन लाग से नाइयों तथा नायकों को मुक्ति**:

नायक तथा बावरी जातियां भेड़-बकरियां पालती थी। भेड़-बकरियों के बाल तथा ऊन कतरने पर ठिकानों ने कतरन लाग लगा रखी थी। इसी प्रकार नाइयों द्वारा बाल काटने का धन्धा करने पर इस कतरन लाग का भुगतान करना पड़ता था। सर छोटूराम ने 26 जुलाई 1941 को मारवाड़ के गांव रतनकुडिया तथा पहाड़सर में भेड़-बकरी पालकों को इक्ट्ठा करके कतरन लाग के विरूद्ध प्रदर्शन कर इस कतरन कर से इन्हें मुक्ति दिलाई।

● **बुनकर लाग का उन्मूलन कर बुनकरों को राहत**:

बुनकर जो अधिकतर जुलाहे मेघवाल समाज से होते थे जो डेवटी की रजाई का कपड़ा, खेस, चादर तथा मोटा कपड़ा रोजी रोटी कमाने के लिए बुनकर बेचते थे। सूत गृहणियां कातकर उन्हें देती थी और वे उस सूत से उनकी इच्छानुसार वस्तुएं बुनकर दे देते थे। शेखावाटी तथा मारवाड़ और विशेषतौर पर

जयपुर, पाली तथा बालोतरा में यह काम जोरों पर था। ठिकानेदारों न इस काम पर बुनकर लाग रखा रखी थी। जिसका विरोध 4 वर्षों तक सन् 1937 से 1941 तक सर छोटूराम ने अपनी अगुवाई में करके समाप्त कराया। बालोतरा में 9 अगस्त 1941 को ठिकानेदारों ने जुलाहों के घरों को लाग नहीं देने पर आग लगा दी जिससे सारा कपड़ा जल गया। सर छोटूराम वहां गए और 8 दिन भूख हड़ताल की तब जाकर जोधपुर के राजा का सन्देश आया कि यह लाग समाप्त कर दी गई है। सर छोटूराम ने 28 मेघवाल परिवारों को नुकसान की भरपाई के लिए 1500 रुपये प्रत्येक परिवार को राजा से दिलवाने की मांग पर अड़ गए। तीन दिन बाद राजा ने प्रत्येक परिवार को 1500/- देने की घोषणा की। ऐसे संघर्ष सर छोटूराम ने मंत्री पद पर रहते हुए किसानों और दलितों की भलाई के लिए किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।

● जागीरदारी प्रथा: लगान वसूली व बेगारों में निर्दयता:

रियासती काल में ठिकानें जागीरदारों के अधीन थे। जागीरदार उनसे अनेक प्रकार की श्रमसाध्य और जानलेवा बेगारें लेते थे। ये जागीरदार बड़े ही निरंकुश और अत्यन्त मनमानी करने वाले माने जाते थे। जागीरदार की मर्जी ही कानून था। यदि किसान से लगान वसूली नहीं होती तो किसान को पकड़कर ठिकाने के गढ़ या हवेली में लाया जाता और उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, जैसे - काठ में डाल देना, भूखा रखना आदि दण्ड - उपाय, जो एक जघन्य अपराधी के खिलाफ भी प्रयोग में नहीं लिए जाते थे। गरीब किसान के लिए यह अत्यंत लज्जाजनक किन्तु आक्रोश पैदा करने वाली स्थिति थी। इन सजाओं की कोई सीमा न थी, कोई कानून न था, कोई व्यवस्था न थी और कोई विधि-विधान भी नहीं था। खड़ी खेती कटवा लेना, पशु खुलवाकर हांक ले जाना, घर-गृहस्थी के बर्तन, कपड़े लते उठा लेना और किसान की मूछें कटवा देना साधारण बात थी। दाढ़ी-मूछें उखाड़ लेना, भूमि से बेदखल कर देना कोई बड़ी बात न थी। किसान तथा उसके परिजनों को गोली का निशाना तक

बनाया जाने लगा था। जागीरदार की हवेली में हाथ का पंखा दलितों से खिंचवाया जाता था और थोड़ी चूक करने पर अपशब्द बोले जाते थे।

● सामाजिक दमन चक्र:

सामाजिक दमन का चक्र कितना गम्भीर था, इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ पिछड़ी जातियों के लोग वहां के सवर्ण जातियों के लोगों के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे। उनके सामने पांचों कपड़े नहीं पहन सकते थे। यह लोग किसी तीर्थ में स्नान भी नहीं कर सकते थे। जागीरदार के घर बेटी पैदा हो गई तो एक मण अनाज की लाग किसान पर थी जिसे बाई जामती की लाग कहते थे और लड़की की शादी होने तक हर साल गाजर, मूली, शकरकन्द की एक क्यारी किसान को देनी पड़ती थी। नाच-गानों का मेहनताना 5 सेर अनाज ढाढ़ी का व 5 सेर भगतण को किसान को ही देना पड़ता था।

किसान की जाति क्या है.....

चौधरी छोटूराम ने कहा था कि किसान की जाति उसकी पार्टी है। आज से जो किसान होगा चाहे वह दलित हो या सवर्ण, अगर वह जमींदारा पार्टी से जुड़ा है तो वह जमींदार कहा जाएगा। वह जमींदारा पार्टी का सच्चा सिपाही और जमींदार होगा।

● युवा वर्ग व नारियों को उचित प्रतिनिधित्व:

चौधरी छोटूराम ने युवावर्ग तथा महिलाओं को राजनीति में उचित स्थान दिया। वे कहते थे कि युवावर्ग तथा महिलाओं के बगैर राजनीति सारहीन है। प्रत्येक चुनावी वर्ष में उम्मीदवारों का बदलाव जरूरी है ताकि अन्य उम्मीदवारों को आने का मौका मिले। बार-बार एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार

के व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाने से समाज में आक्रोश पैदा हो जाता है। जिस प्रकार फसलें फेर-बदल कर उगानी चाहिए, राजनीति भी इस सिद्धान्त से अछूती नहीं है। योग्य तथा योग्यता के सिद्धान्त के आधार पर उम्मीदवारी तय की जाए। पढ़े-लिखे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए। बदलाव करना नितान्त आवश्यक है।

1937 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री हरे कृष्ण ने पंजाब के दौरे के बाद लिखा था-पंजाब प्रांत उद्योग धंधों के बारे में कांग्रेस द्वारा शासित प्रांतों से बहुत अधिक आगे बढ़ा हुआ है। 1939 में गांधी वादी डा० कुमारप्पा ने अपनी किताब भारतीय उद्योग धंधे में लिखा था कि पंजाब प्रांत का औद्योगिक धंधों का विभाग अन्य प्रांतों के मुकाबले में अधिक प्रयत्नशील दिखाई देता है। अखबार ट्रिब्यून को एक इंटरव्यू में बंबई के श्री पाटिल ने भी यही बात कही थी। अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने 10 सितंबर 1939 में लिखा था कि उद्योग धंधों के मामले में बंगाल को पंजाब का अनुसरण करना चाहिए। सर छोटूराम के कामों की गूंज पूरे भारत में थी। सर छोटूराम राष्ट्रीय नेता ही नहीं अपितु राष्ट्रीय निर्माता भी थे।

निष्कर्ष:

चौधरी छोटू राम को चार-चार उपाधियां अपनी सोच, कार्यप्रणाली, विचारधारा, नियति, किसान एवं मजदूर और आम जनता के लिए किए गए कार्यो के कारण ही मिली थी। अतः उनको गरीबों के मसीहा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हमारी गुलामी के समय जब किसी भी तरफ से हमको रास्ता नहीं दिख रहा था, उस समय रहबरे-आजम, दीनबन्धु चौधरी छोटूराम ने अंग्रेजों के शासन के दौरान किसानों तथा गरीबों के हित में अनगिनत कार्य किए। भारत के इतिहास में सर छोटू राम द्वारा किए गए कार्यों को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए चौधरी छोटूराम ने 8

जनवरी 1945, को हस्ताक्षर करने के बाद ही 9 जनवरी को अंतिम सांस ली। सन 1937 से 1945 तक अपने मंत्री काल के दौरान उन्होंने ऐसे कानून बनवाकर लागू करवाए, जिनको अविभाजित हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत की जनता सुनहरी कानूनों (Golden Acts) के नाम से जानती है। सर छोटूराम ने उस वक्त यातायात के साधन ना होते हुए भी जगह-जगह घूमकर किसानों व आम जनता में जागृति पैदा की, जिसका समाज हमेशा ऋणी रहेगा। आज भी किसानी और किसान को बचाने के लिए युवावर्ग हिचकोले ले रहा है। अगर युवा वर्ग दीनबंधु के दिखाए मार्ग पर ईमानदारी से चले तो वह दिन दूर नहीं जब देश का किसान जागरूक होकर और अधिक खुशहाल होगा। सर छोटू राम ने जमींदारों के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी नई दिशा दी थी। कृषि के अलावा पंजाब का उद्योग विभाग भी चौधरी छोटू राम के पास था। अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने 10 सितंबर 1939 के लेख में लिखा था कि उद्योग-धंधों के मामले में बंगाल को पंजाब का अनुसरण करना चाहिए। उस समय सर छोटूराम के कामों की गूंज पूरे भारत में थी। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम सभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। चौधरी साहब सही मायने में युग प्रवर्त्तक, कुशल प्रशासक तथा समाज सुधारक थे।

चौधरी छोटू राम किसी चिड़िया का नाम नहीं है, छोटू राम किसी वस्तु का नाम भी नहीं है। छोटूराम किसी व्यक्ति का नाम भी तो नहीं है। छोटूराम तो उस तूफान का नाम है जिसने होडल से लेकर पेशावर तक के तत्कालीन पंजाब के शोषण को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। छोटूराम तो उस आवाज का नाम है जिसने दबे- कुचले और डरे हुए तथा हजारों साल से अचेत पड़े त्रस्त, पीड़ित शोषित, बेजान, बेजुबान, अपमानित, अपने अधिकारों से वंचित और बेखबर लोगों को जगाया। छोटूराम उस संघर्ष का नाम है जिसने इन दुखी लोगों के दिलों में जान डाल दी और अपने असली दुश्मन के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। छोटूराम तो उस मानवता का नाम है जिसने धरती पर विचरण करने वाले

हर उस जीव पर तरस खाया, जिसकी कोई भलाई सोचने जानने और विचार करने तक का भी साहस नहीं कर सकता था। छोटू राम तो उस विचारधारा का नाम है जो मनुष्य मात्र की भलाई में ही अपनी भलाई समझता हो। छोटू राम उस दैविक शक्ति का नाम है जो सांप्रदायिकता की आंधी के विरुद्ध अपनी आखिरी सांस तक दीवार बनकर खड़ी रही। छोटू राम उस स्वाभिमान का नाम है जिसने सांपला की मंडी के साहूकार से लेकर महाराजा कालाकांकर, महात्मा गांधी, मोहमद अली जिन्ना और यहां तक कि अंग्रेज सरकार के प्रमुख वायसराय लार्ड वेवल तक नहीं झुका सके। छोटूराम स्वावलंबी, कर्मठ, लगनशील तथा संगठन कर्ता और एकता पर जोर देने वाले उस राजनेता का नाम है जिसने किसी दूसरे के राग को न अलाप कर अपनी रागनी खुद बनाकर गाई। इसके बाद छोटू राम उस ईमानदारी का नाम है जिसने बेईमान नौकरशाही के पुराने ढर्रे को बेनकाब करके उसे ईमानदारी की पटरी पर चढ़ाया। दीनबंधु चौधरी छोटूराम एक राजनेता होते हुए अपने अंदर इतने गुणों को समाहित किए हुए थे जोकि एक इंसान में तो भले ही मिल जाएं लेकिन राजनीतिक व्यक्ति में मिलना मुश्किल ही नहीं असंभव है इसलिए स्वाभिमानी चौधरी छोटू राम राजऋषि और गरीबों के मसीहा के रूप में आज भी अमर हैं।

प्रमुख सन्दर्भ सूची:

1. **एस.एस.चाहर: डायनेमिक ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन हरियाणा (रोहतक: हरियाणा अध्ययन केंद्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय) अप्रैल** 2010

2. **सूरजभान दहिया: दीनबंधु छोटूराम के व्यक्तित्व की झलक (चंडीगढ़, जाट सभा)** 2003

3. **सूरजमल सांगवान: किसान संघर्ष तथा विद्रोह (नई दिल्ली, दीनबंधु चौधरी छोटूराम के संदर्भ में)** 1982

4. **हरि सिंह: दीनबंधु चौधरी छोटू राम जीवन-चरित (खेड़ी जट्ट: दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम मिशन)**

5. **हरि सिंह**: **छोटूराम से दोस्ती** (**फरीदाबाद**: **इतिहास बोध प्रकाशन**) 2005

6. **रणजीत सिंह**: **छोटू राम गौरवगाथा** (**रोहतक**, **छोटू राम मेमोरियल सोसायटी रजिस्टर्ड**)

7 **नारायण सिंह तहलान**: **दीनबंधु का सफरनामा** (**बहादुरगढ़**, **दीनबंधु सर छोटूराम धर्मशाला सोसाइटी**) 2005

8. **दलीप सिंह अहलावत**: **जाट वीरों का इतिहास** (**रोहतक**, **दयानंद मठ**)

9. **धर्मचंद विद्यालंकार**: **दीनबंधु सर छोटूराम** (**दिल्ली**, 2002)

10. **बलबीर सिंह**: **सर छोटूराम चिंतन और कर्म** (**गढ़ी सांपला**, **सर छोटू राम जन्म स्थान ट्रस्ट**) 1998 ।